न्यायलय तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर,(श्रीगंगानगर)

प्रकरण सं0 – 10 सन् 2014

1– बगड़ सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबीनिवासी 10 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

2– लखा सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबीनिवासी 10 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

3– गुरदेव कौर पुत्री स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबीनिवासी 10 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4– जसकरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबीनिवासी 9 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

5– हरविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबी निवासी 9 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

6– बलवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह जाति मजहबीनिवासी 9 एफ0एफ0 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

7– बिल्लु सिंह पुत्र रतन सिंह जाति मजहबी निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

8– बलदेव सिंह पुत्र पुत्र रतन सिंह जाति मजहबी निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

9– छिन्द्र कौर पुत्री रतन सिंह जाति मजहबी निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर

———प्रार्थीगण

बनाम

1– बलवन्त सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति तरखान निवासी 8 एन0एन0ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2– हरबन्स सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति तरखान निवासी 8 एन0एन0ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

———अप्रार्थीगण

निर्णय:– दिनाक – 9.05.17

पत्रावली पेश हुई, पक्षकारान की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया, संक्षेप में तथ्य इा प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रकरण इस आश्य का पेश किया की तहसील पदमपुर

---P.T.O---

TEHSILDAR (REVENUE)

गांव 8 एन0एन0ए जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 खाता सं0 92/80 मु0नं0 38 के किला सं0 1 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 6.325 है0 बारानी भूमि वादीगण के पूर्वज गुरबचन सिंह , जोजा सिंह पिसरान डोगर सिंह व जीतो पुत्री डोगर सिंह जाति मजहबी बैय हिस्सा बराबर गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड है, दावा में दर्ज वंशावली के अनुसार मृतक गुरबचन सिंह, जोजा सिंह व जीतो जो फौत हो चुके है, जिनके वादीगण जायज वारिसान है, और उक्त अराजी भूमि को वे वारिस होने के आधार पर काश्त करते आ रहे है, यह भूमि प्रतिवादी सं0 1 बगड़ सिंह को सार–संभाल के लिए दी हुई है, और बगड़ सिंह के साथ मिलकर बिंझाद करते है, यह भूमि प्रतिवादीगण को मौखिक तौर पर आधे हिस्से पर दे रखी थी, वैसाखी पर हिस्सा समाप्त हो चुका था, वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि का कब्जा छोडने के लिए कहा तो वह इन्कार हो गये, वादीगण अनुसूचित जाति के है, प्रतिवादीगण सामान्य जाति के है, जिन्होने अबैध तरिके से भूमि पर कब्जा कर रखा है, और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनूसूचित जाति के व्यक्तियों पर की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रतिबंधित है, इसलिए उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जे से छुडवा कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें, उपरोक्त दावा पर प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त सिंह व प्रतिवादी सं0 2 हरबन्स सिंह फौत हो चुका है, व गुरजन्ट सिंह पुत्र गुलजार सिह की ओर से जबाव दावा पेश किया गया, कि उक्त विवादित अराजी भूमि को गैरखातेदार रिकाडर्ड गुरबचन सिंह , जोजा सिंह व जितो द्वारा दिनांक 05/02/1972 को मृतक गुलजार सिंह पुत्र लाल सिंह जाति तरखान को बैयनामा करवा दिया था, गुलजार सिंह फौत हो चुका है, जबाव दावा के साथ बैयनामा दिनांक 05/02/1972 की फोटो प्रति पेश की, व तहसीलदार पदमपुर में 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर बनाम गुरबचन सिंह आदि मुकदमा सं0 147/76 175 आर0टी0ए की कार्यवाही खारिज हो चुकी है, निर्णय की फोटो प्रति सल्गंन है, मृतक गुलजार सिंह की मृत्यू के बाद बतौर वारिसान होने का कब्जा चला आ रहा है, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण खातेदार (Tenent) भी नही है, और 183 (बी) की दर0 (Tenent) ही पेश कर सकता है, इस तरह से वादीगण का कोई अनुतोष नही बनता है, सन् 1972 से लगातार काबिज है, इसलिए उपरोक्त कानूनन मियाद से भी बाहर है।

पत्रावली में प्रस्तुत पक्षकारान के जबाव व सबूतो की फोटो प्रतियां पर मणन किया गया, उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में इसी न्यायालय द्वारा 175 की कार्यवाही उपखण्ड़ अधिकारी पदमपुर मे इस कार्यालय राजस्व तहसीलदार द्वारा पेश की गई, जो

---P.T.O---

तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

DAR (REVENU

निर्णित हो चुकी है, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में पेश है, निर्णय की फोटो प्रति का अवलोकन किया, जिसमें दावा मियाद अन्दर नही माना गया है, और यह दर्ज है कि जो बेचान हुआ है, वह साबित नही है, इसी आधार को मानते हुये, स्टेट का दावा 175 का खारिज कर दिया गया है, इस प्रकार बैयनामा व उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के आदेशों की फोटो प्रतियां व वादीगण का कोई पत्रावली में अराजी भूमि पर काबिज होने का सबूत न होने पर वादीगण का कोई 183 (बी) वाद चलने योग्य नही है, क्योंकि वाद मियाद से बाहर पेश किया गया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) कोई खातेदार अर्थात (Tenent) ही दावा पेश कर सकता है, जबकि वादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई सबूत नही है, कि वादीगण खातेदार अर्थात (Tenent) हो, इसलिये उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0ए चलने योग्य नही है, अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0ए निरस्त किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

TEHSILDAR (REVENUE) ★PADAMPUR★

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर।